

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ / प्रशा / स्था / 2015 / 9849

दिनांक 05/11/15

## // अधिसूचना //

सर्वसंबंधित की जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि प्रदूषण की बढ़ती समस्या को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ सोमवार के दिन साईकिल को छोड़कर समस्त प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित किया जाता है।

इसके अनुसार उक्त दोनों दिवसों में सिर्फ साईकिल एवं पैदल व्यक्ति को ही विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति रहेगी।

साथ ही विश्वविद्यालय परिसर को तम्बाकू निषेध क्षेत्र घोषित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय परिसर में तम्बाकू अथवा तम्बाकू से बने उत्पाद को सेवन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

कुलपति जी के आदेशानुसार

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. विभागाध्यक्ष / समन्वयक / निदेशक, समस्त अध्ययनशालाएँ / विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. उप-कुलसचिव / सहायक कुलसचिव, समस्त विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. समस्त शिक्षक / अधिकारी / कर्मचारी एवं छात्र / छात्राओं की ओर सूचनार्थ।
6. प्राचार्य / प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. सुरक्षा प्रभारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
8. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
10. सम्पादक ..... समाचार पत्र की ओर भेजकर निवेदन है कि वे उक्त अधिसूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में समाचारवृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

  
उप- कुलसचिव (प्रशा0)